इंदिरा आवास योजना

परिचय

मानव जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए भी आवास अत्यंत महत्वपूर्ण है । ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को बेहतर किस्म के आवास उपलब्ध कराने की आज बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है । ग्रामीण निर्घनों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के तहत जवाहन रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में मई 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गयी । 1 जनवरी 1996 से इसे स्वतंत्र योजना के रूप मे चलाया जा रहा है ।

उद्देश्य

इेदिरा आवास योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाल गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा न रहने योग्य कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराना है ।

लक्ष्य समुह

इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों, बधुआ मजदूरी से मुक्त कराए लोगों और गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों के लिए मकान बनाए जाते हैं । 1995–96 से इंदिरा आवास योजना का फायदा विधवाओं और युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों के निकट संबंधियों को भी उपलब्ध कराया जाने लगाा है । अब पूर्व–सैनिकों ओर अर्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस योजना का फायदा दिया जा रहा है बशर्ते वे इंदिरा आवास योजना की पात्रता की सामान्य शर्तें पूरी करते हों । योजना के लिए निर्धारित राशि का तीन प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले विकलांगों के लिए निर्धारित किया गया हैं ।

मुख्य विशेशताएं

- परिवार की महिला सदसय के नाम या पति–पत्नी दोनों के नाम संयुक्त रूप से मकान का आवंअन ।
- कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मकानों के निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान ।
- शौचालय और धुंआ रहित चूल्हे इंदिरा आवास योजना के मकानों का अभित्र अंग हैं ।
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है ।
- लाभार्थी को मकान का नक्शा, निर्माण–सामग्री और टेक्नोलाजी के चुनाव की पूरी छूट हैं । मकान बनाने में बिचौलियों, ठेकेदारों या विभागीय एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है ।
- 1999–2000 से रहने के अयोग्य कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए प्रति मकान 10 हजार रूपये की सहायता देने की योजना भी चलाई जा रही है । इंदिरा आवास योजना की 20 प्रतिशत राशि इसके लिए निर्धारित की गयी है ।

1. लाभर्थियों का चयन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें किए गए आबंटनों तथा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों की पंचायतवार संख्या का निर्धारण करेगी तथा इसकी सूचना ग्राम पंयायत को देगी । इसके बाद, ग्राम सभा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप तथा इन्दिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों की सूची में से आबंटित लक्ष्यों तक लाभाथियों को चयन करेंगी । इसे पंचायत समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । हालांकि पंचायत समिति को चुने गए लाभार्थियों की एक सूची सूचनार्थ भेजी जायेगी ।

2. लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता

लाभार्थियों के चयन के लिए प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है :–

(1) मुक्त बंधुआ मजदूर ।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार

- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, जो अत्याचारों से पीड़ित हैं ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, जिनकी मुख्या विधवाएं तथा अविवाहित महिलाएं हैं ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार, जो बाढ़, आग, भूकम्प, चक्रवात तथा इसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित है ।
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार के अन्य परिवार ।

(3) कार्रवाई के दौरान मारे गये रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/परिवार

(4) गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार ।

(5) शाारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति ।

(6) सुरक्षा सेवाओं/अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत कर्मचारी ।

(7) विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति, खानाबदोश, अर्द्ध–खानाबदोश तथा निर्दिष्ट आदिवासी, विकलांग सदस्यों वाले परिवार, बशर्ते कि ये परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हों ।

3. मकानों का आबंटन

मकानों का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होना चाहिए । विकल्पतः इसे पति एवं पत्नी दोनों के नाम आबंटित किया जा सकता है ।

4. इंदिरा आवास योजना के मकानों का स्थान

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान सामान्यतः गांव की मुख्य बस्ती में निजी भूखण्डों पर बनाया जाना चाहिए । इन मकानों को छोटी बस्ती के रूप में या समूहों में भी बनाया जा सकता हे जिससे कि अन्दरूनी सड़कों, नालियों, पेयजल की आपूर्ति आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए विकासात्कम ढांचे की सुविधा प्रदान की जा सके । इस बात पर भी सदैव ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंदिरा आवाास योजना के अंतर्गत मकान गांव के नजदीक हो न कि काफी दूर जिससे कि सुरक्षा और संरक्षा, कार्यस्थल से नजदीकी तथा सामाजिक सम्पर्क सुनिस्चित किया जा सके ।

5. निर्माण सहायता के लिए अधिकतम सीमा :–

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सहायता की अधिकतम सीमा निम्नानुसार है :–

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र
स्वच्छ शौचालय और धुआंरहित चूल्हा सहित मकान का निर्माण	रू0 17,500/–	रू0 19,500/–
ढांचागत और सामान्य सुविधाएं प्रदान करने की लागत	रू0 2,500/–	रू0 2,500/–
कुल	रू0 20,000/ –	रू 22,000/–

यदि मकानों का निर्माण समूहों/छोटी बस्ती के रूप में नहीं हुआ हैं, तो ढांचागत और सामान्य सुविधाओं के लिए निर्धारित रू0 2,500/– अपने मकान के निर्माण के लिए लाभार्थी को दिया जाना चाहिए ।

सुधार सहायता की ऊपरी सीमा

न रहने लायक कच्चे मकान को पक्का/अर्द्ध पक्का मकानों में बदलनें के लिए तथा उसमें स्वच्छ शौचालय व धुआंरहित चूल्हे के लिए लाभार्थी को अधिकतम रू0 10,000 कि सहायता दी जायेगी ।

6. लाभार्थियों की भागीदारी

मकानो का निर्माण शुरू से ही लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए । लाभार्थी निर्माण के लिए जरूरी निर्माण सामग्री की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं, अपने आप ही कुशल श्रमिको को लगा सकते हैं तथा पारिवारिक श्रम का भी योगदान कर सकते हैं । लाभार्थियों को मकान के निर्माण के संबंध में पूरी स्वतंत्रता होगी क्योंकि यह उसका अपना है । इससे लागत कम आएगी, निर्माण अच्छी गुणवत्ता का होगा, लाभार्थियों को संतो ा होगा और वे मकान को आसानी से स्वीकार कर लेंगे । इस प्रकार मकान के उचित निर्माण का उत्तरदायित्व स्वयं लाभर्थियों पर ही होगा । इस कार्य का समन्वय करने के लिए यदि जरूरी हो, तो लाभर्थियों की एक समिति बनायी जा सकती है ।

7. ठेकेदारों अथवा विभागीय निर्माण पर प्रतिबंध

इंदिरा आवास योजना के मकानों के निर्माण में किसी ठेकेदार को लगाने की अनुमति नहीं हैं । यदि ठेकेदारों के माध्यम से निर्माण का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो भारत सरकार को अधिकार होगा कि वह इंदिरा आवास योजना के उन मकानों के लिए राज्य को किए गए आबंटन को रद्द कर दे । मकान किसी सरकारी विभाग द्वारा भी नहीं बनाया जाना चाहिए । परन्तु सरकारी विभाग अथवा संगठन लाभार्थियों के चाहने पर उन्हें तकनीकी सहायता दे सकते है अथवा सीमेंट, लोहा या ईंट जैसी कच्ची सामग्रियों की समन्वित आपूर्ति की व्यवस्था कर सकते हैं । इंदिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण किसी बाहरी एजेंसी द्वारा नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत मकान का निर्माण मकान के मूल स्वामी द्वारा किया जाना चाहिए ।

8. उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिक तथा स्थानीय सामग्रियां

विभिन्न संस्थाओं द्वारा विकसित की गई किफायती प्रौद्योगिकियों एवं स्थानीय सामग्रियों का यथासंभव अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए । क्रियान्वयन एजेंसी को अभिनव प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइनों तथा विभिन्न संगठनों/संस्थाओं से सम्पर्क करना चाहिए जिससे टिकाऊ और किफायती मकान बनाने में लाभार्थियों की सहायता जा सके ।राज्य सरकारें भी ब्लाक/जिला सतर पर किफायती और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइनों इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्धा कराने की व्यवस्था कर सकती है । बड़े पैमाने पर ईट, सीमेंट और लोहे का प्रयोग करने वाली प्रौद्योगिकी को नकारा जाना चाहिए । यथासंभव सीमेंट के बदले स्थानीय तौर पर अनाए गए चूला तथा चूने सुर्खी का प्रयोग किया जाना चाहिए । ईटों को खरीदने की बजाए लाभार्थियों द्वारा स्वयं बनाई गई ईटों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि लागत में कमी आए तथा बेहतर मजदूरी रोजगार प्राप्त हो सके ।

9. मकान का डिजाइन

इेदिरा आवास योजना के मकान के लिए किसी डिजाइन की किस्म निर्धारित नहीं की जानी चाहिए । इंदिरा आवास योजना के मकानों की ले आउट, आकार और डिजाइन की किस्म स्थानीय परिस्थितियों के आधाार पर होनी चाहिए । मकानों का कुल क्षेत्र कम से कम 20 वर्गमीटर हो । मकानों का डिजाइन लाभार्थियों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए जिसमें पर्यावरणीय परिस्थितियों तथा उपयुक्त स्थान, रसोई, वायु संचार, शौचालय सुविधाएं, धुआंरहित चूल्हे आदि उपलब्ध कराने की आवश्यकता तथा सामुदायिक धारणाओं, अभिरूचियों तथा सांस्कृतिक अभिवृत्तियों को ध्यान में रखा गया हो ।

विकलांगो के लिए बनाये जाने वाले मकानों में बाधारहित मकान की संकल्पना अपनायी जानी चाहिए जिससे कि उन्हें मकान में चलने फिरने में आसानी हो । आगजनी, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि जैसी प्राक तिक आपदाओं की पुनरावृति वाले क्षेत्रों में आपदारोधी विशेशता वाले डिजाइन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

10. ईंधन किफायती चूल्हे

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाल प्रत्येक मकान में एक ईंधन किफायती चूल्हा प्रदान किया गया हो । यह ईंधन बचाने का विकल्प हैं और धुआंरहित होने के कारण स्वास्थ्यवर्धक है तथा इस्तेमाल में आसान है ।

11. पेयजल आपूर्ति

इंदिरा आवास योजना को चलाने के लिए उत्तरदायी एजेंसियों द्वारा पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए । जहां आवश्यक हो, ग्रामीण जलापूर्ति अथवा अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से स्थल पर कार्य शुरू होने से पहले एक हैंड पंप लगाया जाना चाहिए।

12. स्वच्छता तथा स्वच्छ शौचालय

स्वच्छ शौचालय का निर्माण इंदिरा आवास योजना का एक अभिन्न अंग है । हालांकि, यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में इन मकानों में स्वच्छ शौचालय नहीं बनाए गए हैं । भारत सरकार ने स्वच्छता उपाय के रूप में स्वच्छ शौचालयों के निर्माण को अत्याधिक महत्व दिया है और इस कारण से स्वच्छ शौचालयों को इंदिरा आवास योजना के मकानों का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए । मकानों से निकासी की व्यवस्था भी की जानी चाहिए जिससे कि रसोईघर, स्नानघर आदि से पानी के फैलाव को रोका जा सके ।

13. पर्यावरण सुधार तथा सामाजिक वानिकी

सम्पूर्ण बस्ती अथवा निजी मकान के चारों ओर वृक्षारोपण साथ ही साथ किया जाना चाहिए । पेड़ों को आवास समूहों के पास लगाया जाना चाहिए जिससे कि भविष्य में आसपास काफी मात्रा में पेड़ उपलब्ध हों और लाभार्थियों को ईंधन/चारा/लकड़ी के छोटे लट्ठे प्राप्त हो सकें । ऐसे व क्षारोपण सांमाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जा सकते हैं । कुछ लोकप्रिय स्वदेशी नस्ल के पौधे, जिनका व क्षारोपण किया जा सकता है, निम्न हैं : नीम (अजादीरेक्टा इंडिका); महुआ (मधुका इंडिका); आमला (एम्बलिका आफिशयनलिस); नारियल (कोकोस नूसीफेरा); देवदार (क्रेडरीस डिआडोरा); आम (मैगनीफेरा इंडिका); शाहबलूत (क्वेरकस और सपे); शिशम (दलबेरगिया लटीफोरिया); चंदन (संतालूम एलबम); पीपल (फोकस रेलीजोसया); आदि । सूची में कुछ उदाहरण ही दिये गये है और सभी किस्मों को शामिल नहीं किया गया । क्षेत्र स्थान तथा भू–कृषि–मौसम परिस्थितियों के अनुसार किस्में बदल सकती है । पौधों को लगाने के समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

14. गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी

जहां उपलब्ध हो सके अच्छे रिकार्ड वाली उपयुक्त स्थानीय गैर–सरकारी एजंसियों को इंदिरा आवास योजना के मकानों के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए । निर्माण के पर्यवेक्षण, निर्देशन और निगरानी का कार्य इन गैर–सरकारी संगठनों को सौंपा जा सकता है । विशेष तौर पर, गैर–सरकारी एजेंसियों को स्वच्छ शौचालय के उपयोग तथा धुआंरहित चूल्हों के निर्माण को लोकप्रिय बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है ।

15. मकानों की सूची

कार्यान्वयन एजेंसियों के पास इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों की एक पूर्ण सूची होनी चाहिए जिसमें मकानों का निर्माण शुरू होने तथा पूरा होने की तारीख, कुल लागत, आबंटित मकानों की संख्या, गांव, ब्लाक के नाम जहां मकान स्थित है, लाभार्थियों के नाम, पते, व्यवसाय तथा श्रेणी और अन्य संबंधित विवरणों का ब्यौरा दिया गया हो ।

16. इंदिरा आवास योजना के बोर्ड तथा प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन

इेदिरा आवास योजना का एक मकान बन जाने पर संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को यह सुनिनिचत करना चाहिए कि इस प्रकार निर्मित प्रत्येक मकान के बाहर एक बोर्ड लगाया गया हो जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया हो कि यह मकान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाया गया हैं । घर पर भारत सरकार के ग्रामीण आवास का प्रतीक चिन्ह, लाभर्थी का नाम तथा निर्माण का वर्ष भी लिखा जाना चाहिए ।

17. निगरानी

राज्य मुख्यालयों में इंदिरा आवास योजना का काम देख रहे अधिकारियों को नियमित रूप से जिलों का दौरा करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम का कार्यन्वयन संतोषप्रद हो रहा है और मकानों का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो रहा है । इसी तरह से जिला, सब–डिवीजन और ब्लाक स्तरों के अधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों में कार्यस्थलों का दौरा कर इंदिरा आवास योजना के समस्त पहलुओं की गहन निगरानी करनी चाहिए । एक निरीक्षण सूची, जिसमें राज्य स्तर से ब्लाक स्तर तक के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय दौरों की न्यूनतम संख्या दी गई हो, तैयार की जानी चाहिए तथा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए ।

राज्य सरकार को सावधिक रिपोर्ट/रिटर्न निर्धारित करनी चाहिए जिसके माध्यम से यह जिलों में इंदिरा आवास योजना के निष्पादन की निगरानी कर सकें तथा इंदिरा आवास योजना की सही निगरानी के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के माध्यम से निर्धारित उपयुक्त रिपोर्ट और रिटर्न भी प्राप्त करें । ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य स्तरीय समन्वय समिति का होगा । ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि अथवा नामित व्यक्ति को सदैव समिति की बैठको में भाग लेने के लिए बुलाया जाना चाहिए ।

इंदिरा आवास योजना के संबंध राज्यों/संघ शासित प्रदेशेां द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट और रिटर्न भारत सरकार के समक्ष अलग–अलग प्रस्तुत किया जाना चाहिए (नये निर्माण और सुधार के लिए अलग–अलग)।

(1) प्रत्येक अनुवर्ती महीने की 10 वीं तारीख तक प्रपत्र–1 में टेलेक्स/फैक्स/ई–मेल/निकनेट द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

(2) प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के 25 अप्रैल तक एक विस्तृत वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

18. मूल्यांकन अध्ययन

राज्यो/संघशासित प्रदेशों को इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन पर सावधिक मूल्यांकन अध्ययन करवाना चाहिए । समवर्ती मूल्यांकन द्वारा, भारत सरकार के साथ–साथ राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन के गुण दोषो से उभरे मामलों पर ख्यातिप्राप्त संस्थाओं और संगठनों द्वारा मूल्यांकन अध्ययन करवाया जा सकता है । राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा किए गए इन मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टो की प्रतियां भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए । इन मूल्यांकन अध्ययनों में तथा भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी तरफ से किए गए समवर्ती मूल्यांकन में भी की गई टिपपणियों के आधार पर राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

19. इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता

यह सर्वाधिक महत्पूर्ण है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं उचित रूप से कार्यान्वित की जाएं तथा इनमें दुरूपयोग एवं अन्य अनियमितताएं कम हों । इसके लिए विभिन्न स्तरों पर इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने की तत्काल आवश्यकता है । इसके लिए मुख्य रूप से यह आवश्यक है कि लोगों को कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के सभी पहलुओ की जानकारी हो । सूचना का प्रकट करना नियम हो और सूचना की गोपनीयता अपवादस्वरूप ही होनी चाहिए ।

गाँव, खण्ड तथा जिला स्तर पर कार्यक्रम में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए उन मदों की सूची, जिनके संबंध में लोगों को अपरिहार्य रूप से सूचना उपलब्ध करायी जानी चाहिए, नीचे दी गई है । मदों की यह सूची उदाहरणार्थ है तथा सर्वांगपूर्ण नहीं है ।

ग्राम–स्तर

(1) गांव में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की सूची ।

(2) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पहचान किए गए लाभाथियों की सूची, जिसमे अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला लाभार्थियों तथा विकलांग व्यक्तियों का विस्तृत ब्यौरा हो ।

(3) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गांव को किया गया आबंटन ।

(4) इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देश/लाभार्थियों के चयन का मानदण्ड ।

(5) आबंटित घरों पर इंदिरा आवास योजना के साईन बोर्ड का प्रदर्शन ।

खण्ड–स्तर

(1) खण्ड स्तर पर शुरू किए गए मकानों का ब्यौरा जिसें लागत, निधियों के स्त्रोतों तथा कार्यान्वयन एजेंसियो का उल्लेख हो ।

(2) उपस्थिति नामावली तक पहुंच ।

(3) योजना के लिए निधियों का ग्राम–वार वितरण ।

(4) इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में आबंटन/निधियों की उपलब्धता तथा प्रगति ।

जिला–स्तर

(1) योजना के लिए इंदिरा आवास योजना निधियों का खण्ड–वार तथा ग्राम–वार वितरण ।

(2) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत चयन के प्रतिमान सहित खण्ड/गांव स्तर पर निधियों के वितरण का मानदण्ड।

20. वित्त पोषण पद्धति

इंदिरा आवास योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका वित्तपोषण लागत में हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75.25 के अनुपात में होता है । संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस योजना के तहत सारे संसाधन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते है ।

21. संसाधनों के आबंटन का मानदण्ड

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को केन्दीय सहायता का आबटंन उस राज्य/संघ राज्य में गरीबों की संख्या के अनुपात तथा आवासों की कमी के आधार पर किया जाता है । ऐसा करते समय गरीबी और आवासों की कमी को बरावर महत्व दिया जाता है । योजना आयोग द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए गरीबी प्राक्कलनों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है जबकि पिछली जनगणना के आधार पर आवासों की कमी का पता लगाया जाता है । किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना की निधियों के अंतर–जिला आबंटन के लिए मानदण्ड उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिले में ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनूसचूति जनजाति की जनसेख्या तथा आवासों की कमी का अनुपात है । ऐसा करते समय एक बार फिर इन तत्वों को बरावर महत्व दिया जाता है । प्रति वर्ष इन निधियों का आबंटन भारत सरकार द्वारा उपयुक्त मानदण्ड के आधार पर निधियां उपलब्ध होने पर तय किया जायेगा । एक जिले के संसाधनों को दूसरे जिले में पथांतरण की अनुमति नहीं है । कुल निधियों का 80: नये निर्माण और बाकी 20: राशि कच्चे मकानो के सुधार के लिए इस्तेमाल की जाति है ।

22. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता की रिलीज

इंदिरा आवास योजना की निधियों का संचालन जिला–स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा किया जाता है । केन्द्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को प्रति वर्ष दो किस्तों में रिलीज की जायेगी बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तो का पूरा करें :–

(क) कुल राशि के 50ः के बराबर की पहली किस्त वित्तीय वर्ष के शुरू में रिलीज की जाती है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान दूसरी किस्त के लिए दावा किया गया हो तथा किस्त रिलीज की गई हो । तथापि यदि पूर्ववर्ती वर्ष की अंतिम किस्त के रिलीज के समय कोई खास शर्त लगा दी गई हो तो प्रथम किस्त रिलीज करने से पहले इस शर्त को पूरा करना आवश्यक होगा ।

(ख) निर्धारित प्रारूप मे जिल ग्रामीण विकास एजेंसियों के द्वारा अनुराध। किए जाने पर जिलों के लिए निधियां तब जारी की जाएगी जब निम्नलिखित शर्तो को पूरा किया जोयगाः

(1) दूसरी किस्त के लिए आवेदन करते समय उपलब्ध कुल निधियों का 60ः, अर्थात वर्ष का आदिशेष तथा राशि जिसमें राज्य अंश भी सम्मिलित हो, का उपयोग हो चुका हो ।

(2) जिले में आदिशेष अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास कुल शेष पूर्ववर्ती वर्ष में जिले के लिए आबंटित राशि का 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए । अगर आदिशेष इस सीमा से ज्यादा हो तो दूसरी किस्त को रिलीज करते समय बढ़ी हुई राशि के तीन गुणा तक हिस्सा केन्द्रीय अंश से काट लिया जायेगा ।

(3) जिला ग्रामीण विकास एजेंसीयों को चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य के प्रावधानों के बारे में सूचित करना होगा । केन्द्रीय रिलीज जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए किए गए प्रावधान के अनुपात में ही होगा ।

(4) राज्य सरकार को दूसरी किस्त के लिए आवेदन की तिथि तक देय अपने सारे अंशदान (जिनमें पूर्ववर्ती वर्ष के अंशदान भी सम्मिलित हैं) रिलीज कर देने चाहिए । राज्य के बंश में कमी होने की स्थिति में केन्द्रीय अंश की तदनुरूप राशि (अर्थात् राज्य अंश का तीन गुण) की दूसरे किस्त से कटौती कर दी जायेगी ।

(5) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना ।

(7) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासकीय निकाय द्वारा वार्षिक योजना का अनुमोदन किया जा चुका हो ।

(8) सभी प्रगति/निगरानी रिपोर्ट भेजी जा चुकी हो ।

(9) निधियो का गबन नहीं हुआ है, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(10) इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि संसाधनों का एक जिले से दूसरे जिले में पथांतरण नहीं हुआ है और इस योजना की जमाराशि पर पूर्ववर्ती वर्ष में मिले ब्याज को चालू वर्ष के आदिशेष की गणना के लिए ध्यान मे लिया गया है ।

(11) समय–समय पर लागू की गई अन्य दूसरी शर्तो का भी अनुपालन किया जाना चाहिए ।

(ग) दूसरी किस्त की मात्रा उपयोग के बारे में रिपोर्ट करने की अवधि पर निर्भर करेगा । दूसरी किस्त के लिए पूरा प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर दूसरी किस्त की मात्रा निम्नलिखित रूप में तय की जायेगी । माह में प्राप्त प्रस्ताव :–

दिसम्बर	– आबंटित निधियों का 50:
जनवरी	– आबंटित निधियों का 40:
फरवरी	– आबंटित निधियों का 30:
मार्च	– आबंटित निधियों का 20:

15 मार्च के बाद मिले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

23. लेखो का रखरखाव

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लेखेां के रखरखाव के संबंध में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को उनके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है । पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम रूप दिए गए लेखों को संबद्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की आम सभा द्वारा 30 जून को या इससे पहले अनुमोदन कर दिया गया हो तथा वर्ष की 31 अगस्त को या इससे पहले उनकी लेखा परीक्षा की जा चुकी हो । संबद्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसि की आम सभा द्वारा यथास्वीकृत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां वर्ष की 30 सितम्बर को या उससे पहले राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकारों को भेज दी जायेगी । उपयुक्त प्रक्रिया, पालन की जाने वाली अन्य प्रक्रियाओं तथा संस्था की नियमावली के अनुच्छेदों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त होगी ।

24. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को राज्य अंश की रिलीज

राज्य सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता के रिलीज के बाद एक महीने के भीतर अपना अंश रिलीज करेगी तथा इसकी एक प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय को पृष्ठांकित करनी चाहिए ।

25. इंदिरा आवास योजना के लिए अलग बैंक खाता

इंदिरा आवास योजना की निधियां (केन्द्रीय अंश तथा राज्य अंश) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा किसी राष्टीयकृत/अनुसूचित या सहकारी बैंक या डाकखाना में एक विशिष्ट तथा अलग बचत खाते में जमा की जायेंगी ।

26. जमाराशियों से प्राप्त ब्याज का उपयोग

इंदिरा आवास योजना की जमा निधियों से प्राप्त ब्याज की राशि इंदिरा आवास योजना के संसाधनों का हिस्सा समझी जायेगी ।

27. ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा निधियों का आहरण

खातो से निधियों का आहरण केवल इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत होने वाले खर्च के लिए ही होगा ।

28. लाभार्थियों को भुगतान

लाभार्थियों को भुगतान कार्य की प्रगति के आधार पर अलग–अलग समय पर किया जाना चाहिए । लाभार्थियों को पूरी राशि एक मुश्त नहीं दी जानी चाहिए । भुगतान की किस्ते राज्य सरकार द्वारा या जिला स्तर पर तय होनी चाहिए जो कार्य की प्रगति से जुड़ी हों ।

इन्दिरा आवास निर्माण हेतु

आवेदन––पत्र

सेवा में

श्रीमान् जिला कल्याण पदाधिकारी,

द्वारा : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ————————————————————————

विषय : बेघरों के घर के सम्बन्ध में नया आवेदन–पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं पिछड़ा वर्ग/हरिजन जाति का ———————————————— परिवार का सदस्य हूँ । मेरा पूरा विवरण निम्न हैं :–

नाम : ————————————————————————

पिता/पति का नाम : ————————————————————————

ग्राम/महल्ला : ————————————————————————

पोस्ट : ————————————————————————

थाना : ————————————————————————

प्रखण्ड : ————————————————————————

अनुमण्डल : ————————————————————————

जिला : ————————————————————————

मैं एक गरीब आदमी हूँ । मेरे पास अपना कोई जमीन जायदाद नहीं है और न रहने को घर है । सरकार ने बेघरों को घर देने की नई घोषणा की है, कि सभी बेघरों वाले परिवार को रहने के लिए घर बनाकर दिया जायगा । मुझे भी रहने के लिए एक घर की सख्त आवश्यकता है ।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे भी सरकार के द्वारा सरकारी खर्च पर एक घर बनवाकर दिया जाय ।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक ————————————

नोट :– आवेदन–पत्र के साथ आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें ।